न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 31/2024

अपीलार्थी–	बनाम	उत्तरदाता–
झमकू पुत्री हिमताराम पत्नी अचलाराम जाति जाट निवासी पुरावा ग्राम पंचायत गोदारो की बेरी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		1. राजस्थान राज्य जिला रसद अधिकारी बाड़मेर 2. अनिता पत्नी गिरधारीलाल पुत्री बाबुलाल जाति जाट निवासी सारणों की ढाणी अरणियाली तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय क्रमांक 1558 दिनांक 05.10.2023 द्वारा जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री तुषार परमार, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री काछबाराम खोथ, अधिवक्ता उतरदाता संख्या 2 की ओर से उपस्थित।
3. उतरदाता संख्या 1 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12.02.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1558 दिनांक 05.10.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा बाड़मेर जिले में कुल 27 रिक्त/नवसृजित दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओ से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमिन आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:12:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमें अपीलांट के ग्राम पुरावा ग्राम पंचायत गोदारों की बेरी एफ पी एस कोर्ड संख्या 220 महिला आरक्षण हेतु भी विज्ञप्ति जारी की गई थी। अपीलकर्ता एम.ए. पास एवं आरएससीआईटी कम्प्युटर की परीक्षा उर्तीण है तथा ग्राम पंचायत गोदारो की बेरी के राजस्व गांव पुरावा की मूल निवासी है। इस प्रकार उतरदाता संख्या 1 द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अपीलकर्ता में सभी योग्यता है। इस कारण अपीलकर्ता द्वारा अपना आवेदन पत्र मय दस्तावेज उतरदाता संख्या 1 के कार्यालय में जमा करवाये। उतरदाता संख्या 2 जो वर्तमान में राजस्व गांव सारणों की ढाणी ग्राम पंचायत अरणियाली की मूल निवासी है तथा वह मात्र स्नातक तक पढ़ी है तथा कम्प्यूटर कोर्स भी नहीं कर रखा है। इसके बावजूद उतरदाता संख्या 1 द्वारा उतरदाता संख्या 2 का आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक प.15(24)()रसद/एफपी एस/2023/1558 दिनांक 05.10.2023 के द्वारा राजस्व ग्राम पुरावा ग्राम पंचायत गोदारों की बेरी की उचित मूल्य दुकान डीलर हेतु चयन किया गया एवं प्राधिकार पत्र जारी किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। अपील के संलग्न मयाद प्रार्थना–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र मय मयाद प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदातागण को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट किया कि उतरदाता संख्या 1 द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई उसमे स्पष्ट रूप से आवेदक की योग्यताओं [illegible] निर्धारण भी दिया गया था जिसमें शर्त संख्या 1 में अंकित किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:12:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

का निवासी होना आवश्यक है जिस पंचायत मे उचित मूल्य दुकान स्थित है। अपीलार्थी राजस्व गांव पुरावा ग्राम पंचायत गोदारो की बेरी की मूल निवासी है जबकि उतरदाता संख्या 2 ग्राम पंचायत अरणियाली की मूल निवासी है। इसके बावजूद उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा उतरदाता संख्या 2 का चयन करने मे कानूनन व इंसाफन भूल की है जिससे आलोच्य आदेश निरस्त योग्य किये जाने योग्य है।

5. उत्तरदाता संख्या 01 स्वयं उपस्थित होकर प्रकट किया कि उचित मूल्य दुकान के डीलर हेतु चयन समिति द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार चयन किया गया है, इसके बावजूद यदि किसी आवेदक द्वारा तथ्य छिपाकर या गलत जानकारी देकर चयन करवाया हैं तो वह पुनरीक्षण योग्य हैं।

6. उतरदाता संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर बताया कि उतरदाता संख्या 02 गोदारो की बेरी की ही मूल निवासी है उतरदाता के दादा ससुर का खेत व घर पुरावा मे आया हुआ है। शादी के पश्चात भी अपने ससुर के खेत मे बने मकान में पति के साथ गोदारों की बेरी मे ही निवास कर रही है। उतरदाता संख्या 02 के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उक्त पद पर चयन होने की अवधि की 8 माह मे कम्प्युटर प्रमाण पेश करने की अवधि थी जिसमें उतरदाता संख्या 02 द्वारा उक्त प्रमाण पत्र पेश होने के पश्चात ही चयन किया गया है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

7. हमने अपीलार्थी एवं उतरदाता संख्या 02 के अधिवक्ता एवं उतरदाता संख्या 01 द्वारा दिये गये त[illegible] अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन [illegible] बाड़मेर जिले में कुल 27 रिक्त/नवसृजित दु[illegible]क एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओ से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्[illegible] पदार्थ वितरण का विनियमिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:12:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। जिसमें अपीलांट के ग्राम पुरावा ग्राम पंचायत गोदारों की बेरी एफ पी एस कोर्ड संख्या 220 महिला आरक्षण हेतु भी विज्ञप्ति जारी की गई थी। अपीलकर्ता एम.ए. पास एवं आरएससीआईटी कम्प्युटर की परीक्षा उर्तीण है तथा ग्राम पंचायत गोदारो की बेरी के राजस्व गांव पुरावा की मूल निवासी है। इस प्रकार उतरदाता संख्या 1 द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अपीलकर्ता में सभी योग्यता है। इस कारण अपीलकर्ता द्वारा अपना आवेदन पत्र मय दस्तावेज उतरदाता संख्या 1 के कार्यालय में जमा करवाये। उतरदाता संख्या 2 जो वर्तमान में राजस्व गांव सारणों की ढाणी ग्राम पंचायत अरणियाली की मूल निवासी है तथा वह मात्र स्नातक तक पढ़ी है तथा कम्प्यूटर कोर्स भी नहीं कर रखा है। इसके बावजूद उतरदाता संख्या 1 द्वारा उतरदाता संख्या 2 का आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्व ग्राम पुरावा ग्राम पंचायत गोदारों की बेरी की उचित मूल्य दुकान हेतु चयन किया गया एवं प्राधिकार पत्र जारी किया गया। उतरदाता सं. 2 के अधिवक्ता का कथन हैं कि उसके दादा ससुर का खेत ग्राम पूरावा में आया हुआ है तथा उतरदाता अपने ससुर के साथ खेत में बने मकान में निवास कर रही हैं किन्तु इस कथन के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जारी जॉब कार्ड सं. आरजे2717005240021951OO/1884 पंजीकरण दिनांक 20.07.2023 में उतरदाता का नाम अपने पति के साथ ग्राम खोथावास ग्राम पंचायत अरणियाली में दर्ज हैं तथा उतरदाता सं. 2 द्वारा इसके उपयोग द्वारा रोजगार भी समय–समय पर प्राप्त किया जा रहा हैं। अधिवक्ता उतरदाता सं. 2 द्वारा लिखित बहस [illegible] के पिता के साथ निवास के दस्तावेजात प्रस्तुत [illegible] के संबंध में मान्य नहीं किये जा सकते हैं। इस प्रकार उतरदाता सं. 2 द्वारा अपनी पात्रता के संबंध में तथ्यों को छिपाकर चयन प्रक्रिया में भाग लिया हैं तथा अधीनस्थ जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:12:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला ... बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

रसद अधिकारी द्वारा भी इस संबंध में बिना जांच किये उतरदाता सं. 2 का अपीलाधीन आदेश के द्वारा चयन किया हैं जो विधि सम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमिन आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के तहत ग्राम पुरावा ग्राम पंचायत गोदारों की बेरी एफ पी एस कोर्ड संख्या 220 महिला आरक्षण हेतु उतरदाता सं. 2 का चयन एवं प्राधिकार पत्र सं. 14/2024 दिनांक 16.03.2024 निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी एवं उतरदाता सं. 2 की पात्रता की पूर्ण जांच कर विभागीय दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से चयन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:12:35 IST
Reason: SelfAttested